Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2014
(KARTIKA 13, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th November, 2014

No. 34—HLA of 2014/79.— The Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 34—HLA of 2014

THE HARYANA VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows : —

1. This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2014. Short title.

2. After section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of section 59A in Haryana Act 6 of 2003.

"**59A. Amnesty Scheme.**— Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and rules made thereunder, the

Government may, by notification in the Official Gazette, notify amnesty scheme for recovering old arrears of taxes which are outstanding and are difficult to recover inspite of various efforts, for the period prior to 1st April, 2014 subject to such conditions and restrictions, as may be specified in the scheme.".

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No. 7 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Old tax arrears including interest & penalty amounting to Rs. 5560.43 crores are outstanding in the State as on 30th June, 2014 under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956. In order to facilitate recovery of old arrears of taxes and to provide relief to all types of dealers from payment of penalties and interest, an "Amnesty Scheme" is proposed to be brought by the Department. At present there is no enabling provision in the Haryana Value Added Tax Act, 2003 to notify the "Amnesty Scheme". Hence there is a need to insert an enabling provision in HVAT Act, 2003 for bringing an Amnesty Scheme(s) as to enable the State to recover old arrears of various taxes which are outstanding and are difficult to recover despite the earnest efforts of the Department. The Cabinet in its meeting held on 30.07.2014 has approved the proposal of the department to insert the enabling provision in the Haryana Value Added Tax Act, 2003 for bringing an Amnesty Scheme(s) to recover old arrears of various taxes. In order to give effect to this decision, as the State Legislature of Haryana was not in session, the Ordinance No.7 of 2014 was issued by the Governor of Haryana *vide* Notification No.leg.35/2014 published on 2nd September, 2014.

In order to give effect the above decision it will be necessary to regularize the Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No.7 of 2014).

Hence this Bill.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Excise and Taxation Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 4th November, 2014.

SUMIT KUMAR,
Principal Secretary.

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2014 का विधेयक संख्या 34 - एच० एल० ए०

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

2003 के हरियाणा अधिनियम 6 में धारा 59क का रखा जाना।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 59 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"59क. माफी स्कीम .– इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे कर, जो ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन प्रथम अप्रैल, 2014 से पूर्व की अवधि के लिए बकाया हैं और विभिन्न प्रयासों के बावजूद उनकी वसूली होनी मुश्किल है, के पुराने बकायों की वसूली हेतु माफी स्कीम अधिसूचित कर सकती है।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य में मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 तथा केन्द्रीय बिक्रीय कर अधिनियम, 1956 के अधीन 30 जून, 2014 को 5560.43 करोड़ रुपये की राशि ब्याज व दण्ड सहित पुराने बकायों के रूप में बाकी है। सभी व्यवहारियों से पुराने बकायों की राशि की वसूली को सहज करने तथा ब्याज व दण्ड में छूट देने हेतु विभाग द्वारा एक 'माफी स्कीम' लाना प्रस्तावित है। इस समय हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन माफी स्कीम को अधिसूचित करने का कोई सक्रिय प्रावधान नहीं है। इसलिए पुराने कर जो विभाग के भरसक प्रयासों के बावजूद वसूली करने मुश्किल हैं, की वसूली करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन एक समर्थ प्रावधान सम्मिलित करने की आवश्यकता है। विभिन्न पुराने करों की वसूली के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में माफी स्कीम के रूप में समर्थ प्रावधान को डालने के लिए दिनांक 30.07.2014 को हुई मन्त्रिमण्डल की बैठक में विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी हुई है। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्योंकि हरियाणा राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना संख्या लैज 35/2014, 2014 का अध्यादेश संख्या 7, दिनांक 2 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित किया था।

उपरोक्त निर्णय के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7) को नियमित कराना आवश्यक होगा।

अतः यह विधेयक।

कैप्टन अभिमन्यु,
आबकारी व कराधान मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 नवम्बर, 2014.

सुमित कुमार,
प्रधान सचिव।

52759—H.V.S.—H.G.P., Chd.